



**icmr**  
INDIAN COUNCIL OF  
MEDICAL RESEARCH  
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार  
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research  
Department of Health Research, Ministry of Health  
and Family Welfare, Government of India

क्रमांक:16/29/2023/प्रशासन/ ई-ऑफिस-157401

दिनांक /02/2026

## कार्यालय जापन

दिनांक 18.10.2024 के समसंख्यक कार्यालय जापन के अनुक्रम में, यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) अंशदान से संबंधित प्रावधान निम्नानुसार लागू होंगे।

### ईपीएफ अंशदान संरचना:

कर्मचारी का अंशदान: 12% (जैसा कि उक्त कार्यालय जापन के कॉलम संख्या 06 में निर्दिष्ट है, समेकित पारिश्रमिक में कर्मचारी का भविष्य निधि (EPF) अंशदान सम्मिलित है।)

नियोक्ता का अंशदान: 12%, जिसका विभाजन निम्नानुसार किया जाएगा:

- कर्मचारी पेंशन योजना (EPS): 8.33%
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF): 3.67%
- प्रचलित ईपीएफओ (EPFO) अंशदान दरों के अनुसार: ईडीएलआई (EDLI): 0.5% और प्रशासनिक शुल्क : 0.50% है। (EPF, EPS, EDLI तथा प्रशासनिक शुल्क के लिए नियोक्ता का अंशदान दिनांक 21.06.2024 के कार्यालय जापन संख्या F&A/ICMRHQ/2024 प्रावधानों के अनुसार वहन किया जाएगा।)

उपर्युक्त अंशदानों की गणना तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सीमा ₹15,000/- (केवल पंद्रह हजार रुपये) तक के वेतन पर की जाएगी।

(जयबीर सिंह)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

प्रति,

आईसीएमआर के सभी संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/निदेशक-प्रभारी

### प्रतिलिपि :

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उप महानिदेशक(प्रशा)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. परिषद के सभी प्रभागाध्यक्ष
3. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/अपर महानिदेशक/प्रशासन अधिकारी (प्रशा.) परिषद मुख्यालय
4. डॉ. एम.एस. चाल्गा, वैज्ञानिक-डी — अनुरोध है कि इसे आईसीएमआर वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।